

Speed post /त्रिव डाक

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननिंत्रीयक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Show-cause Notice/कारण बताओ नोटिस**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202



संख्या: 2471/MCDR-MiFL0Mn/1/2022-AJM-IBM_RO_AJM दिनांक: /01/2025

प्रेषित: खान एजेंट,

कालाखूटा मैग्निज खान,

M/s Assian Mining Associated,

गाँव: कालाखूटा, तहसील: कुशलगढ़ जिला: बांसवाड़ा ,

(e-mail: nathaniakshay333@gmail.com, mmpl1@yahoo.in , amamnore@gmail.com)

विषय: राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में स्थित आपकी कालाखूटा मैग्निज खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 11/12/2024 by undersign in presence of Sri Akshay Nathani, Mine Manager and Mining Engineer of your mine:

Rule	Status and extent of violation
45(7)	On examination of the Annual return for the year 2023-24 following discrepancy have been observed: (1) Part V, Section-1: The details of exploration at the beginning of the year, cumulative and grid spacing have not furnished. (2) Part-VII (cost of production): (i) The cost of production of ore-mineral produced is furnished as Rs. 3237.15 per tons, however, as per figures of expenses figures furnished under various heads of annual return the cost of ore-mineral production per unit comes to 3443.71 per tons. (iv) The proposed production figure in second table of part-VII under heading “production proposal for the financial year 2023-24” is not furnished.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:

(क) आपकी खान कि सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।

(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

05. कृपया ध्यान रखें के भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दीया जाएगा।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, बांसवाड़ा।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर